

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-980 / 2025

दीपक कुमार खटीक

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर, स्वास्थ्य भवन, तीलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
4. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा।
5. आशिष कुमार शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचसी, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025

आदेश की दिनांक : 13.02.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र शर्मा, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/24 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आमल्दा ब्लॉक जहाजपुर जिला भीलवाड़ा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में किया गया है और आलोच्य आदेश क्रमांक राजहैल्थ/टी.सी./2025/30 दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पीएचसी आमल्दा ब्लॉक जहाजपुर जिला शाहपुरा से उप जिला चिकित्सालय पूगल, बीकानेर में

किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश क्रमांक 24 एवं 30 पारित किये गये है, जिसमें अपीलार्थी को दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरित किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) एवं 15.01.2025 (अनुलग्नक-2) दोनों आदेशों में नोट संख्या-5 में यह अंकित किया गया है कि किसी कार्मिक का एक से अधिक स्थानों पर/एक से अधिक सूची में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में आदेश के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। अतः उक्त नोट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का एक ही स्थान से दो स्थानांतरण आदेशों के द्वारा दो भिन्न जगहों पर स्थानांतरण किया गया है तो ऐसी स्थिति में आदेशों के क्रियान्वयन से पूर्व निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। उपरोक्त नोट को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन प्राप्त होने तक अपीलार्थी को उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें, जहां वह चुनौती आदेश जारी किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)